समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–5 एवं एकलव्य भवन
उपायुक्त (प्रशिक्षण एवं क्वालिटी) कार्यालय–मुख्य भवन ब्लॉक–6, प्रथम तल,
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
फोन –0141–2706069 rajssa.training@gmail.com

PM SHRI

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/PM SHRI/Summer Camp/06247/2026–27 22178858 दिनांक : 13/05/2026

पी.एम.श्री योजना अन्तर्गत अभिरूचि शिविर के आयोजन हेतु दिशा निर्देश : सत्र 2026–27

प्रस्तावना

परिचय – पीएम श्री योजना अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में चयनित 629 तथा अष्ठम् चरण में चयनित 10 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु 15 दिवसीय (16 मई 2026 से 20 जून 2026 के मध्य) अभिरूचि शिविर का आयोजन किया जाना है। इस हेतु पीएमश्री की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2026–27 अन्तर्गत प्रति विद्यालय राशि 10,000 रूपये का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों को रचनात्मक, शारीरिक एवं मनोरंजक गतिविधियों में सहभागिता का अवसर प्रदान किया जायेगा।

उद्देश्य –

- विद्यार्थियों के सीखने के कौशल को रोचक, गतिविधि आधारित एवं अनुभवात्मक बनाना।
- विद्यार्थियों की रूचियों, रचनात्मकता एवं कौशलों का विकास करना।
- विद्यालयों को आनन्दायक शिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करना।

बजट प्रावधान

पीएमश्री की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026–27 अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई है –

Major Component	Activity Master	Activity Name	Phy.	Unit Cost (In lakhs)	Financial (In lakhs)
Curriculum, Pedagogy and Assessment	Project Innovation (Recurring)	Summer Camp for Class 6-8 Students	629	0.10	62.90
Curriculum, Pedagogy and Assessment	Project Innovation (Recurring)	Summer Camp for Class 6-8 Students	1153	0.10	115.3

लेखा संबंधी नियम

- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये।
- व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।

RajKaj Ref No.: 22178858
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : State Project Director
Date: 2026.05.13 1?:05:12 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

- इस राशि का उपयोग उपरोक्त गतिविधि एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहीत प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियमों 2013'' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

गतिविधि का क्रियान्वयन

- विद्यालय स्तर पर अभिरूचि शिविर का आयोजन 15 दिवस (16 मई 2026 से 20 जून 2026 के मध्य) तक किया जाना है।
- अभिरूचि शिविर के आयोजन का समय स्थानीय परिस्थितियों (गर्मी) के अनुसार निर्धारित किया जाना है। (प्रातः 7.30 से 10.30 बजे तक)
- अभिरूचि शिविर प्रति दिवस न्यूनतम 3 घण्टे आयोजित किया जाना है।
- विद्यालयों में नामांकित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाये।
- **अभिरूचि शिविर में निम्नानुसार गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है–**

क्र.सं.	श्रेणी	गतिविधियां
1.	शैक्षणिक सुद्धढ़ीकरण	बेसिक डिजिटल साक्षरता, आत्मविश्वास के प्रति जागरूकता हेतु गतिविधियां, रोलप्ले, पहेलियाँ इत्यादि।
2.	कला एवं रचनात्मकता	पेंटिंग, क्रॉफ्ट, पोस्टर निर्माण, संगीत, नृत्य, नाटक स्थानीय कला (मूर्ति निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, हस्तशिल्प) इत्यादि सम्बन्धित गतिविधियां।
3.	खेल एवं शारीरिक	योग, प्राणायाम, खेल–कूद (इन्डोर – चैस, कैरम, उपलब्धता के आधार पर टेबिल टेनिस इत्यादि एवं आउटडोर – खो–खो, कबड्डी, दौड़, ऊँची कूद, उपलब्धता के आधार पर फुटबॉल, किक्रेट, हॉकी, जुड़ो–कराटे इत्यादि)

- उपरोक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु पीएमश्री विद्यालय में बाह्य व्यक्ति नियुक्त किया जाना है। गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तालिका अनुसार प्रति श्रेणी प्रति दिवस मानदेय के 200 रूपये निर्धारित किये गये है।
- प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 3 बाहय व्यक्ति नियुक्त कर कुल 200x15x3= राशि 9000 रूपये व्यय की जानी है।
- प्रति पीएमश्री विद्यालय हेतु अनुमोदित कुल राशि 10,000 रूपये में से शेष राशि 1,000 रूपये उपरोक्त तालिका में प्रस्तावित गतिविधियों के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री के क्रय में व्यय किये जाने है।
- पीएमश्री विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता एवं इच्छानुसार अभिरूचि शिविर में सहयोग प्राप्त किया जाये।
- अभिरूचि शिविर के दौरान इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये।

उत्तरदायित्व

1. **पीएमश्री संस्थाप्रधान के कार्य/दायित्व :**

Signature valid
Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.05.13 16:05:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22178858
M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

- अभिरूचि शिविर के सफल क्रियान्वयन एवं आवश्यक कार्य संपादित किये जाने हेतु विद्यालय स्तर पर **संस्थाप्रधान द्वारा ग्रीष्मावकाश में नियुक्त प्रभारी को अभिरूचि शिविर प्रभारी के रूप नियुक्ति किया जाये।**
- अभिरूचि शिविर के दौरान उपयोग में आने वाली विद्यालय की समस्त सामग्री की देखभाल, साथ ही खेल–कूद गतिविधि के दौरान भाग लेने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं संस्था प्रधान द्वारा अन्य निर्देशित कार्य अभिरूचि शिविर प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किये जाये।
- विद्यालय में अभिरूचि शिविर आयोजन की सूचना से कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को अवगत कराया जाये।
- कक्षा 6 से 8 के प्रत्येक विद्यार्थी से उपरोक्त तालिका में निर्धारित श्रेणी का चयन कराया जाये। चयन उपरान्त श्रेणीवार एवं विद्यार्थीवार रजिस्टर संधारित किया जाये।
- विद्यार्थियों एवं बाह्य व्यक्तियों की दैनिक उपस्थिति संधारित की जाये।
- अभिरूचि शिविर मे गतिविधियों के आयोजन हेतु बाह्य व्यक्तियों का चयन एसडीएमसी/एसएमसी में प्रस्ताव प्रस्तुत कर किया जाये।
- बाह्य व्यक्तियों की सामान्य जानकारी – नाम, मो नम्बर, पता, योग्यता, पहचान पत्र की सत्यापित प्रति इत्यादि एवं उनके द्वारा श्रेणी अनुसार आयोजित गतिविधियों के क्रियान्वयन का संधारण किया जाये।
- अभिरूचि शिविर हेतु आवश्यक सामग्री का क्रय एसडीएमसी/एसएमसी की बैठक में प्रस्ताव पारीत कर किया जाये।
- अभिरूचि शिविर की कार्ययोजना सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा को प्रेषित कर अनुमोदित कराई जाये।

2. ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य/दायित्व :

- प्रत्येक पीएमश्री विद्यालय में अभिरूचि शिविर का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाये इसकी सघन मॉनिटरिंग की जाये।
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ब्लॉक के समस्त पीएमश्री विद्यालयों में अभिरूचि शिविर के दौरान व्यक्तिशः मॉनिटरिंग करते हुए जिला स्तर पर रिपोर्ट प्रेषित की जाये।
- अभिरूचि शिविर के दौरान विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के लिए लगाये जाने वाले बाह्य व्यक्त्यिों का डाटा प्रति पीएमश्री विद्यालयवार संधारित किया जाये।
- प्रत्येक पीएमश्री विद्यालय से प्राप्त अभिरूचि शिविर की कार्ययोजना की समीक्षा कर अनुमोदन प्रदान किया जाये।
- अभिरूचि शिविर के आयोजन हेतु आवश्यकता अनुसार पीएमश्री विद्यालयों को संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- अधीनस्थ समस्त पीएमश्री विद्यालयों द्वारा अभिरूचि शिविर के आयोजन की सूचना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा को प्रेषित की जाये।

3. जिला स्तर पर किए जाने वाले कार्य/दायित्व

- ब्लॉक एवं पीएमश्री विद्यालयों तक दिशा निर्देशों की पहुँच सुनिश्चित की जाये।
- पीएमश्री विद्यालय स्तर पर अभिरूचि शिविर के आयोजन की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु समस्त ब्लॉक कार्यालयों पर प्रभारी नियुक्त कर मॉनिटरिंग कार्य संपादित किया जाये।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.05.13 10:05:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22178858

M e-Sign

Scanned with OKEN Scanner

- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ के साथ अभिरूचि शिविर के आयोजन से पूर्व एवं पश्चात समीक्षा बैठक आयोजित की जाये।
- अभिरूचि शिविर अन्तर्गत आयोजित की गई गतिविधियों की समेकित प्रगति रिपोर्ट से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को अवगत कराया जाये।
- अभिरूचि शिविर आयोजन की बेस्ट प्रेक्टिस तैयार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को उपलब्ध कराई जाये।
- अभिरूचि शिविर के दौरान आयोजित गतिविधियों के फोटो एवं वीडियों समेकित कर विद्यालय स्तर पर संधारित करते हुए परिषद् को उपलब्ध कराये जाये।
- आवश्यकतानुसार जिले में कार्यरत NGO/ विशेषज्ञों से संपर्क कर आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाये।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्ट

- समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा पीएमश्री विद्यालयों का अभिरूचि शिविर के दौरान भ्रमण कर गुणवत्ता का परीक्षण किया जाये।
- अभिरूचि शिविर में आयोजित की गई गतिविधियों की समेकित सूचना प्रत्येक जिले द्वारा उपलब्ध कराये गये गूगल फार्म पर इंद्राज की जाये।
- सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधीन पीईईओं की ऑनलाईन मिटिंग लेकर इस कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगें।

(डॉ. रश्मि शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/PM SHRI/Summer Camp/06247/2026–27/22178858 दिनांक : 13/05/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
4. अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, रास्कूलशिप, जयपुर।
6. उपायुक्त पीएमश्री, रास्कूलशिप, जयपुर।
7. जिला प्रभारी, समस्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा निर्देश को समग्र शिक्षा की वेब साइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
13. UCEEO/PEEO, समस्त।
14. प्रधानाचार्य, पीएमश्री विद्यालय, समस्त जिले।
15. कार्यालय प्रति।

RajKaj Ref No.:
22178858
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.05.13 1?:05:12 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner